न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 20/2021 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. बद्री पुत्र श्री समयनाथ जाति जोगी निवासी ग्राम मांदला कलां तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान

..... अपीलाण्ट

बनाम

1. मुन्शी पुत्र श्री समयनाथ,
2. मुनीर पुत्र श्री समयनथ जाति जोगी निवासी ग्राम मांदला कलां तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान
3. तहसीलदार साहब जरिये लैण्ड होल्डर तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान

.....रेस्पोडेण्टस

उपस्थित :–

1. श्री भीमसेन अदलावा, अभिभाषक अपीलांट।
2. अभिभाषक रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

::: निर्णय ::: **दिनांक :– 06.08.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 15.05.18 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्टस/प्रार्थीगण द्वारा मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ में यह दावा पेश किया गया कि आराजी हाल खसरा नं. 382/0.09, 385/0.28, 386/0.19, 393/0.30, 394/0.17, 395/0.37, 398/0.01, 399/0.27, 402/0.05, 403/0.10, 405/0.04, 406/0.05, 407/0.16, 685/0.25, 367/1.01, 376/0.05, 379/0.05, 380/0.22, 381/0.02, 383/0.26, 384/0.07, 400/1.22, 401/0.30 हैक्ट. वाके ग्राम मांदला कलां तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है जो दावा हाजा में विवादित है। उक्त विवादित आराजी में वादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 रिकॉर्डेड कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है,

जो अबट आराजी है। उक्त आराजी सामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, परन्तु कुछ समय से असल प्रतिवादी सं. 1 के मन में बदयान्ति आ गई है और उक्त आराजी में प्रार्थीगण को शांति से काश्त नहीं करने देता है। विरोध करने पर बिना विधिक बंटवारा किये ही आराजी का बैचान करने व निर्माण करने की धमकी देता है। वादीगण का उक्त आराजी में अप्रार्थी सं. 1 के साथ मुश्तर्का में काश्त करना मुश्किल हो गया है। इसलिये वादीगण द्वारा मातहत अदालत में अपने हिस्से का अलग खाता व अलग लगान कायम करवाने का तथा अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया गया। मातहत अदालत द्वारा दिनांक 20.04.18 को वाद में वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनकर अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक 15.05.18 तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि वो विवादित आराजी को रहन, बय नहीं करें, राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। दिनांक 15.05.18 को पत्रावली 'न्याय आपके द्वार 2018' कैम्प कोर्ट में पेश हुई, जहां मातहत अदालत द्वारा आदेश किया गया कि "मूलवाद में पी0डी0 जारी हो चूकी है। अतः दिनांक 20.04.18 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण होने तक कन्फर्म किया जाता है।" अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थी द्वारा अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिस प्रार्थनापत्र में दिनांक 20.04.18 को इकतरफा में अपीलाण्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा तहत अदालत ने जारी की है तथा दिनांक 15.05.18 को बगैर अपीलाण्ट को बगैर विधिवत तामील कराये उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया है, उसकी जानकारी अपीलाण्ट को नहीं थी। पी0डी0 भी अपीलाण्ट की गैरमौजूदगी में तथा बगैर अपीलाण्ट की विधिवत तामील कराये व जवाब लिए पी0डी0 जारी की है। अपीलाण्ट विवादित आराजी का सह खातेदार तथा मौके पर काबिज होने के कारण प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन तथा नापूर्ति होने वाली क्षति अपीलाण्ट के हक में साबित है। इस तथ्य पर अदालत मातहत ने गौर नहीं किया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 15.05.18 अपास्त फरमाया जावें। खर्चा मुकदमा अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्ट्स से दिलाया जावें तथा अन्य उचित आज्ञा जो न्यायसंगत हो, प्रदान की जावें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट भी पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आदेश दिनांक 15.05.18 की कोई जानकारी अपीलाण्ट को नहीं थी, क्योंकि निर्णय कैम्प कोर्ट में किया गया था जिसमें प्रार्थी को ना तो सूचित किया गया था, ना ही प्रार्थी उपस्थित था। दिनांक 08.02.21 को रेस्पोडेण्टस के द्वारा अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में मजाहमत करने तथा स्थगन आदेश के बारे में बताने पर दिनांक 09.02.21 को नकल प्राप्त की तथा उसके पश्चात बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत है। इसलिए दिनांक 15.05.18 से दिनांक 08.02.21 तक का समय मियाद में मुजरा देक पेशकर्दा अपील अन्दर मियाद ग्रहण करने के लिए यह प्रार्थनापत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा पेश किया रहा है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर मनन किया गया। पत्रावली दिनांक 20.04.18 को प्रतिवादी को तलबी हेतु रजिस्टर्ड ए0डी0 के बाबत नियत थी, परन्तु दिनांक 15.05.18 को बिना सूचित किए एवं बिना सुनवाई का नोटिस दिये ही पत्रावली को कैम्प कोर्ट में निर्णित कर दिया। इससे अपीलाण्ट को जानकारी नहीं हो सकी। अतः प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी मुख्य बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि गलत निर्णय की आड में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की खुली अवहेलना हुई और अपीलाण्ट के साथ न्याय नहीं हुआ है। अपीलाण्ट विवादित आराजी का सह खातेदार है तथा मौके पर काबिज है, जिससे मातहत अदालत सहखातेदार को इस प्रकार पाबंद नहीं कर सकती है। अपीलाण्ट की गैरमौजूदगी में तथा बगैर अपीलाण्ट की विधिवत तामील कराये व जवाब लिए पी0डी0 जारी की है। मातहत अदालत को अपीलाण्ट का जवाब लेकर व अपीलाण्ट को सुनकर निर्णय करना चाहिए था ऐसा ना कर तहत अदालत ने कानूनी भूल की है जिसे अपास्त किया जाना आवश्यक है जिसे अपास्त किया जावे।

अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 15.05.18 का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया।

अदालत मातहत द्वारा पत्रावली का निस्तारण ''न्याय आपके द्वार'' में किया गया है। प्रथम पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों में यह कहीं भी संलग्न नहीं है कि अपीलाण्ट को उक्त दिनांक 15.05.18 के लिए सुनवाई बाबत नोटिस जारी किए गए हैं। अदालत मातहत द्वारा आदेशिका में यह अंकन किया गया है कि ''मूल वाद में पी0डी0 जारी हो चुकी है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है।'' इस पर मूल वाद की प्रारम्भिक डिक्री का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह पाया गया कि पत्रावली में उभय साक्ष्य का हवाला दिया जाना भी प्रमाणित नहीं है क्योंकि आदेशिका पर भी अधिवक्ता अप्रार्थी/अप्रार्थी पक्षकार (अपीलाण्ट) के हस्ताक्षर अंकन नहीं है। बिना सुनवाई का मौका दिए प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है, यह विधिक त्रुटि है, जिसका परिमार्जन किया जाना न्यायोचित्त है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाये जाने के कारण स्वीकार की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 15.05.18 को अपास्त किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/8/21

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर